

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
विकास आयुक्त का कार्यालय,  
सीप्ल- विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई:-400096

फाईल संख्या:- सीप्ल-सेज/सुरक्षा/गेट पास/01/2016-17/15905


दिनांक:-03.08.2017

परिपत्र - 206

ऐसा देखा गया है कि सीप्ल-सेज युनिटों ने वेंडर, कॉन्ट्रक्टर और कंन्सलटंट को कर्मचारी नहीं होने पर भी बाहरी लोगों को कर्मचारी कोड देकर ऑन लाईन से स्थायी फोटो पहचान पत्र अवगत करके दिये हैं। जिसका यह लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। यह सीप्ल-सेज की सुरक्षा व्यवस्था को सूचारु रूप से चलाने में बाधा आ रही है। स्थायी/अस्थायी पहचान पत्र केवल युनिट कर्मचारियों के लिए देना है, जिसमें युनिट कर्मचारी कोड रहता है।

अतः सीप्ल-सेज युनिटों का इस परिपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अपने वेंडर, कॉन्ट्रक्टर और कंन्सलटंट को कर्मचारी कोड देकर स्थायी/अस्थायी फोटो पहचान पत्र जारी किये हैं उन्हें अपना कर्मचारी साबित करे अन्यथा उन्हें जारी किया यह पास रद्द किया जायेगा।

इसे मा.विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।



(विजय द.नरे)

सहा.सुरक्षा अधिकारी  
सीप्ल-सेज

प्रति:-

1. सभी सीप्ल-सेज युनिट
2. आयटी अनुभाग वेबसाईड पर अपलोड करे।